अध्याय - 16

विनियामक पक्ष

- 1. बीमा विनियमन
- ः बीमा विनियमन का मुख्य उद्देश्य है पालिसीधारक की रक्षा करना
- 2. आई आर डीए द्वारा विनियमित हस्तियां
- (क) अभिकर्ता
- (ख) बीमा कम्पनियां
- (ग) तृतीय पार्टी प्रशासक (TPA)
- (घ) सर्वेयर
- (ड) ब्रोकर
- (च) निगमित अभिकर्ता

बीमा अधिनियम, 1938 में बीमा कम्पनियों के क्रिया-कलापों की देख-रेख करने एवं नियंत्रण करने का प्रावधान है।

- 3. आई.आर.डी.ए. विनियमन बीमा कम्पनियों के दायित्यों को निर्धारित करता है:
- (क) बिक्री के बिन्दु पर
- (ख) पालिसी सेवा के प्रति
- (ग) दावा-सेवा के प्रति
- (घ) व्यय, निवेश पर नियंत्रण
- (ड) पालिसीधारकों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए वित्तीय क्षमता।
- 4. बीमा अभिकर्ताओं पर लागू विनियमन
- (क) बीमा अधिनियम, 1938 (धारा 42) के अनुसार बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति के पास लाइसेंस होना चाहिए
- (ख) लाइसेंस जारी करने तथा अभिकर्ताओं की नियुक्ति सम्बन्धित अन्य मामले आई.आर.डी.ए. के अधीन हैं।
- (ग) कुछ अन्य विनियमन भी हैं जो इस प्रिक्रया में सभी अवस्थाओं पर स्वीकृत होने चाहिए।

5. आवेदक की योग्यताः

ः यदि आवेदक पिछली जनगणना के अनुसार पाँच हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में रहता है तो उसकी न्यूनतम योग्यता 12 वीं पास होना अनिवार्य है, तथा यदि आवेदक किसी अन्य स्थान पर रहता है तो उसकी शैक्षिक योग्यता 10 वीं पास या उसके समकक्ष किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्था से उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. परीक्षाः

ः आवेदक को जीवन या सामान्य बीमा व्यापार में, या दोनों में, जो भी स्थिति हो भारतीय बीमा संस्थान, मुम्बई या किसी अन्य परीक्षा संस्थान ये नियुक्ति-पूर्व परीक्षा पास करनी होगी।

7. देय शुल्क

ः जीवन बीमा अभिकर्ता या संयुक्त बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस जारी करने/नवीनीकरण हेतु प्राधिकरण को दो सौ पश्चात रू0 यथासमय पर संषोधित षुल्क देय होगी।